Office of Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 अल्मोड़ा

उपस्थिति
1– चामू सिंह गस्याल, सदस्य–न्यायिक
2– ओपी दीक्षित, सदस्य–तकनीकी
3– पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता

परिवाद संख्या–184 /2024

श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे,
ग्राम– बरतोली, पो0ऑ0– पनुवानौला,
अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा प्रतिवादी

1 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके संयोजन संख्या एआर 19501002519 के सापेक्ष हर माह बहुत अधिक बिल आ रहे हैं जबकि उनका घर कई वर्षों से बन्द पडा है। उन्होंने बताया कि उनके पिता के निधन के पश्चात उन्होंने विभाग में संयोजन के नाम परिवर्तन के लिए कई बार आवेदन पत्र दिया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने बिल ठीक करने तथा संयोजन के नाम परिवर्तन करने के लिए निवेदन किया। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 609 दिनांक 05.07.2024 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

2 मंच की सुनवाई तिथि 08.07.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान, सहायक अभियन्ता–राजस्व ने बताया कि वादी द्वारा संयोजन के नाम परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रपत्रों पर विभाग में कोई आवेदन नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि वादी के परिसर पर लगे मीटर की रीडिंग लेकर प्रकरण के बिल का निरिक्षण किया जा रहा है।

3 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 02.08.2024 / 21.08.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान, सहायक अभियन्ता–राजस्व मय श्री जीवन जोशी कार्यालय सहा0 द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी का बिल संशोधित कर दिया गया है जो कि रू0 13899.00 से संशोधित होकर रू0 2850.00 ऋणात्मक बना है।

21/8/24

Scanned with CamScanner

वाद सं० 184/2024

आदेश

विभाग द्वारा रू0 13899.00 से रू0 2850.00 ऋणात्मक बिल संशोधन के दृष्टिगत वादी के बिल के वाद को निस्तारित किया जाता है। वादी के संयोजन के नाम परिवर्तन हेतु विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी को निर्धारित प्रपत्रों तथा साथ में लगाये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों के बारे में लिखित में पत्र द्वारा सूचित करें। वादी को कहा जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नाम परिवर्तन हेतु विभाग में आवेदन करें ताकि उनके संयोजन का नाम परिवर्तन तद्नुसार हो सके।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।
आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 21.08.2024

पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता	ओपी दीक्षित 21/8/2024 सदस्य–तकनीकी	चामू सिंह गस्याल सदस्य–न्यायिक

Scanned with CamScanner

Office of Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 अल्मोड़ा

उपस्थिति 1– चामू सिंह गस्याल, सदस्य–न्यायिक
2– ओपी दीक्षित, सदस्य–तकनीकी
3– पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता

परिवाद संख्या– 182/2024

श्री गुसाई सिंह गुसाईं — वादी
ग्राम डोटियालगॉव, ताकुला,
अल्मोड़ा

बनाम

अधिशासी अभियंता — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके यहा दो संयोजन हैं जिनमें संयोजन संख्या एआर 13303014135 उनके नाम हैं जबकि दूसरा संयोजन संख्या एआर 13303014138 श्री धन सिंह गुसाईं के नाम से है। जिसका बिल आईडीएफ में आने के कारण मीटर अक्टूबर 2023 में बदल दिया गया था जो कि सिस्टम पर ठीक से अप्डेट नहीं हुआ है। उन्होने दोनो बिलो को ठीक करने का अनुरोध किया है।
उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 593 दिनांक 29.05.2024 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

2. मंच की सुनवाई तिथि 10.06.2024 में वादी की तरफ से श्री गुसाईं सिंह गुसाईं तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान, सहायक अभियन्ता–राजस्व मय श्री जीवन जोशी कार्यालय सहा0 द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि संयोजन संख्या एआर 13303014138 के सापेक्ष आईडीएफ के अन्दर बदला गया मीटर त्रुटिवश संयोजन संख्या एआर 13303014135 के सापेक्ष सिस्टम पर अंकित हो गया था जिसको 15 दिन के अन्दर ठीक कर वादी को सही बिल उपलब्ध कराने के लिए विभाग को निर्देशित किया गया।

3. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 02.08.2024 में वादी की तरफ से श्री गुसाईं सिंह गुसाईं तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान, सहायक अभियन्ता–राजस्व मय श्री जीवन जोशी कार्यालय सहा0 द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि मीटर के डेटा को सिस्टम पर ठीक कर दिया गया है परन्तु बिल अभी संशोधित होने हैं। विभाग को निर्देशित किया गया कि 10 दिन के अन्दर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराये जायें।

4. मंच की अन्तिम सुनवाई तिथि आज दिनॉक–21.08.2024 में वादी की तरफ से श्री गुसाईं सिंह गुसाईं तथा विभाग की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहा0 द्वितीय उपस्थित हुए। श्री जोशी ने बताया कि संयोजन संख्या एआर 13303014138 के सापेक्ष संशोधित बिल रू0 2192 तथा संयोजन संख्या एआर 13303014135 के सापेक्ष बिल रू0 60 ऋणात्मक बना है। उपरोक्त संशोधित बिलों पर वादी ने अपनी संतुष्टी व्यक्त की है तथा

Scanned with CamScanner

वाद सं० 182/2024

निवेदन किया है कि संशोधित बिल उनके व्हाट्सएप संख्या 8865833740 पर भेज दिये जायें ताकि वह इसका भुगतान कर सकें।

आदेश

उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग को निर्देशित किया जाता है कि दोनों संयोजनों के सापेक्ष संशोधित बिल वादी के उपरोक्त व्हाट्सएप संख्या 8865833740 पर 10 दिन के अन्दर भेज दिये जायें जिनका वादी द्वारा 10 दिन के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।
आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 21.08.2024

पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता	ओपी दीक्षित 21/8/2024 सदस्य–तकनीकी	चामू सिंह भर्स्याल सदस्य–न्यायिक

Scanned with CamScanner

Office of Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० अल्मोड़ा

उपस्थिति
1– चामू सिंह गस्याल, सदस्य–न्यायिक
2– ओपी दीक्षित, सदस्य–तकनीकी
3– पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता

परिवाद संख्या– 162 / 2024

श्री मदन सिंह — वादी
ग्राम विरकोला, वि0खं0– धौलादेवी,
तहसील– भनोली, अल्मोड़ा।

बनाम

अधिशासी अभियंता — प्रतिवादी
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके संयोजन संख्या एआर 29716904963 के सापेक्ष कुछ महीनों से रू0 19000.00 से अधिक बिल आ रहा है जिसके लिए मीटर चैक करने के लिए चैक मीटर लगाया गया था जिसके अनुसार गणना करने पर कोई संतोषजनक समायोजन नहीं हो पाया है। उन्होने बिल ठीक करने का अनुरोध किया है।
   उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 489 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

2. मंच की सुनवाई तिथि 18.02.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान, सहायक अभियन्ता–राजस्व ने बताया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मैन मीटर 11 प्रतिशत तेज चलता पाया गया जिसके सापेक्ष 315 यूनिट का समायोजन देने के पश्चात् जनवरी 2024 तक कुल देय राशि रू0 17791.00 बनती है। उन्होंने बताया कि मीटर की एमआरआई की गई थी जिसमें कोई विशेष त्रुटि नहीं पाई गई।

3. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 18.03.2024 / 30.04.2024 में वादी की तरफ से श्री प्रेम सिंह भतीजा श्री मदन तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान, सहायक अभियन्ता–राजस्व मय श्री जीवन जोशी कार्यालय सहा0 द्वितीय उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि वह एक बीपीएल उपभोक्ता हैं और पिछले 5 महिनों में सिर्फ 73 यूनिटस् बिजली का उपभोग हुआ है। विभाग को निर्देशित किया गया कि वादी के परिसर का स्थलीय निरक्षण कर वादी का कनैक्टैड लोड – स्वीकृत भार – विद्युत उपभोग को लेते हुए विश्लेषण कर एवम् पुराने मीटर की एमआरआई कर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें।

21/8/2024

Scanned with CamScanner

वाद सं0 162/2024

4. मंच की सुनवाई तिथि दिनॉक–02.08.2024 में वादी की तरफ से श्री प्रेम सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान, सहायक अभियन्ता–राजस्व मय श्री जीवन जोशी कार्यालय सहा0 द्वितीय उपस्थित हुए। श्री चौहान ने बताया कि वादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण में 1 किलोवॉट स्वीकृत भार के सापेक्ष .046 किलोवॉट कनैक्टैड लोड पाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि नये मीटर की औसत खपत पुराने मीटर की औसत खपत 49 यूनिट के सापेक्ष सिर्फ 10 यूनिट आ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मीटर की एमआरआई की गई थी जिससे कोई उपयुक्त डेटा प्राप्त नहीं हो पाया है। इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया गया था कि नये मीटर के 6 महिने के औसत उपभोग के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को देखते हुए 10 दिन के अन्दर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. मंच की अन्तिम सुनवाई तिथि आज दिनॉक–21.08.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री जीवन जोशी, कार्यालय सहा0 द्वितीय ने बताया कि मंच के निर्देशानुसार वादी का बिल संशोधित कर दिया गया है। जो कि रू0 19444.00 से संशोधित होकर रू0 1764.00 का बना है। वादी से उपरोक्त पर उनके दिये गये फोन नं0 पर बात की गई जिसमें उन्होंने उपरोक्त संशोधन पर अपनी संतुष्टी व्यक्त की है।

आदेश

विभाग द्वारा मंच के निर्देशानुसार बिल संशोधन करने तथा वादी द्वारा संशोधित बिल 1764.00 रू0 पर अपनी संतुष्टी करने के दृष्टिगत प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।
विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह संशोधित बिल वादी को 10 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें जिसे वादी द्वारा 15 दिन के अन्दर जमा किया जायेगा।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।
आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 21.08.2024

पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य–उपभोक्ता

ओपी दीक्षित 21/8/2024
सदस्य–तकनीकी

चामू सिंह गर्स्याल
सदस्य–न्यायिक

Scanned with CamScanner

Office of Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 अल्मोड़ा

उपस्थिति
1– चामू सिंह गस्याल, सदस्य–न्यायिक
2– ओपी दीक्षित, सदस्य–तकनीकी
3– पुष्कर सिंह रावत, सदस्य–उपभोक्ता

परिवाद संख्या– 179/2024

वादी

श्री हिमांशु भट्ट,
ग्राम कोटेश्वर, जागेश्वर,
अल्मोड़ा।

बनाम

प्रतिवादी

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके संयोजन संख्या एआर 11325401633 के सापेक्ष हर माह बहुत अधिक यूनिटस् के बिल आ रहे हैं। उन्होंने मीटर को चैक करने के लिए चैक मीटर लगाने के लिए अनुरोध किया है। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 570 दिनांक 15.04.2024 के द्वारा अधिशासी अभियंता अल्मोड़ा को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।

2. मंच की सुनवाई तिथि 30.04.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान, सहायक अभियन्ता–राजस्व ने बताया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाने के लिए वादी को चैक मीटर शुल्क रू0 118.00 जमा करने के लिए फोन पर सुचित किया गया है।

3. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 02.08.2024/21.08.2024 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान, सहायक अभियन्ता–राजस्व मय श्री जीवन जोशी कार्यालय सहा0 द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर वादी द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात दिनॉक– 29.05.2024 को चैक मीटर लगाया गया था जिसको दिनॉक– 08.07.2024 को उतारा गया। उन्होंने बताया कि चैक मीटर की मैन मीटर से तुलना करने पर मैन मीटर 01 प्रतिशत तेज पाया गया जो परमिशिबिल लिमिट के अन्दर है। उन्होंने यह भी बताया कि वादी को नियमित रूप से रीडिंग आधारित बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

Scanned with CamScanner

वाद सं० 179/2024

आदेश

विभाग द्वारा चैक मीटर की मैन मीटर से तुलना करने पर मैन मीटर उपरोक्तानुसार सही पाया गया है। वादी को नियमित रूप से रीडिंग आधारित बिल निर्गत करने के दृष्टिगत प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।
आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 21.08.2024

पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य–उपभोक्ता

ओपी दीक्षित
सदस्य–तकनीकी

चामू सिंह गस्याल
सदस्य–न्यायिक

Scanned with CamScanner